कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

छत्तीसगढ़

इंद्रावती खण्ड, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

दूरभाष क्रमांक-0771-2236685 ,2236446 फैक्स-0771-2224476, 2236684

Website : ceochhattisgarh.nic.in E-Mail : ceoraipur.cg@nic.in

// निविदा सूचना //

निविदा विज्ञप्ति क्रं. – 4712 दिनांक 30 DEC 2022

कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के अनुपयोग घोषित वाहन **CG02-A-8001 (Tata Indigo Manza Aqua Saffire (P) AC & Power Steering–BS_III, Petrol)** वर्ष 2010 में क्रय की गयी थी जो जहाँ है, जैसी है दशा में, के विक्रय हेतु मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

वाहन से संबंधित निविदा प्रपत्र एवं शर्ते रूपये 100.00 (एक सौ रूपये मात्र) नगद जमा कर कार्यालयीन समय में कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा प्रपत्र विक्रय की प्रारंभिक तिथि– 30/12/2022 समय सुबह 10:00AM से 05:30PM बजे तक।

निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि– 20/01/2023 समय दोपहर 12:00PM बजे तक।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि– 20/01/2023 समय दोपहर 03:00PM बजे तक।

निविदा खोलने की तिथि – 20/01/2023 समय सांय 04:00PM बजे।

30/12/2022

(शिखा राजपूत तिवारी)
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
छत्तीसगढ़
इंद्रावती खण्ड, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

दूरभाष क्रमांक-0771-2236685 ,2236446 फैक्स-0771-2224476, 2236684
Website : ceochhattisgarh.nic.in E-Mail : ceoraipur.cg@nic.in

क्रमांक–24 / भण्डार / 2022/4710 रायपुर, दिनांक 30 DEC 2022

प्रति,

आयुक्त,
जनसम्पर्क संचालनालय,
विज्ञापन शाखा,
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–ए, भूतल,
नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़।

विषयः– राज्य के एक समाचार पत्र में निविदा प्रकाशित करने बाबत्।

*****

विषयांतर्गत अनुरोध है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर के अनुपयोगी घोषित वाहन के विक्रय हेतु निविदा आमंत्रित की जानी है।

कृपया संलग्न **"निविदा सूचना"** को दिनांक 30 / 12 / 2022 तक स्थानीय स्तर के बहुप्रचारित एक समाचार पत्र में यथोचित प्रकाशित करें तथा प्रकाशित निविदा सूचना की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।
(मु.नि.प. द्वारा अनुमोदित)

30/12/2022

(शिखा राजपूत तिवारी)
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ.क्रमांक–24 / भण्डार / 2022 **रायपुर, दिनांक**
प्रतिलिपि :–

सिस्टम मैनेजर, कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, को निविदा सूचना कार्यालयीन वेबसाईट में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
छत्तीसगढ़, रायपुर

निविदा पत्र कं. – ....
दिनांक – ....

निविदा प्रपत्र

(बंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जावें)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर के अनुपयोगी घोषित वाहन क्रमांक **CG02-A-8001 (Tata Indigo Manza Aqua Saffire (P) AC & Power Steering–BS_III, Petrol)** के विक्रय हेतु

1. निविदाकर्ता का नाम :– ....
2. पता :– ....

....

....

3. आधार कार्ड / पैन कार्ड का नंबर :– ....

(छायाप्रति संलग्न करें। :– ....

4. दूरभाष :– ....
5. निविदा के साथ जमा की गयी राशि रूपये 5000.00 के बैंक ड्राफ्ट / एफ.डी. का

विवरण, क्रमांक एवं दिनांक :– ....

....

6. निविदा हेतु वाहन की कीमत अंको में :–

वाहन का विवरण	प्रस्तुत की जा रही दर
CG02-A-8001 (Tata Indigo Manza Aqua Saffire)	दर अक्षरों में :– .... दर शब्दों में :– ....

घोषणा – पत्र

मेरे द्वारा निविदा शर्तों का अवलोकन एवं वाहन का निरीक्षण कर लिया गया है। मुझे निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार्य है। मेरी निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में, मैं ऑफर की गयी राशि का 50 प्रतिशत तुरंत जमा कराने तथा शेष राशि 07 दिवस के भीतर कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर में जमा कर वाहन प्राप्त करने के लिए सहमत हूँ।

दिनांक :– ....   हस्ताक्षर :– ....

निविदाकर्ता का नाम एवं पता :– ....

....

E:\2018 Doc\Store Docoments 2018\Order Letter\Vahan Aplekhan Nivida Doc..Docx

निविदा शर्ते

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर के अनुपयोगी घोषित वाहन के विक्रय हेतु सील बंद निविदा दिनांक 20/01/2023 को अपरान्ह 3:00PM बजे तक आमंत्रित की जाती है। वाहन से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है :–

स.क्रं.	वाहन का पंजीयन क्रमांक	इंजन का नंबर	चेचिस नंबर	मॉडल क्रं. /वर्ष	अन्य विवरण
1	CG02-A-8001 (Tata Indigo Manza Aqua Saffire (P) AC & Power Steering–BS_III, Petrol)	323B66007071780	MAT613211ALH28771	2010	Petrol

निविदा की शर्ते :–

1. वाहन जहाँ है तथा जिस हालत में है, विक्रय किया जावेगा।
2. वाहन क्रमांक CG02-A-8001 (Tata Indigo Manza Aqua Saffire (P) AC & Power Steering– BS_III, Petrol) का **ऑफसेट मूल्य 63,000/– निर्धारित है।** इस राशि से दर कम होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. वाहन के लिए निविदा हेतु **दो लिफाफे में प्रस्ताव** देना होगा। **प्रथम लिफाफे** में आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड की छायाप्रति तथा अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी. रखा जावेगा। **द्वितीय लिफाफा में निविदा प्रपत्र (निर्धारित प्रारूप) रखा जावेगा। जिसमें निविदाकार द्वारा अन्य विवरणों के साथ वाहन हेतु दर प्रस्तुत की जावेगी।** दोनों लिफाफें सीलबंद होकर एक तीसरे लिफाफें अर्थात् **मुख्य लिफाफे** में रखे जाऐंगे। ध्यान रहे कि तीनों लिफाफों को सहीं तरीके से सीलबंद किया जाकर ही प्रस्तुत किया जावे।
4. मुख्य लिफाफे के ऊपर वाहन का प्रकार वाहन क्रमांक लिखा जाना अनिवार्य होगा। निविदाकार को उक्त लिफाफा कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी में **व्यक्तिगत रूप से** उपस्थित होकर अंतिम तिथि एवं समय के पूर्व जमा करवाना अनिवार्य है।
5. निविदाकार को अपने नाम एवं पता के प्रमाणिक विवरण के लिए आधार कार्ड, पैन नंबर की स्वप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्यतः प्रस्तुत की जानी होगी।

To be conti..2..

6. निविदा के साथ अमानत राशि रूपये 5,000/– का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी. जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर के नाम पर देय हो, लिफाफा में जमा कराना अनिवार्य होगा।
7. प्रथम एवं द्वितीय स्थान वाले निविदाकार की जमा अमानत राशि रोकी जाकर शेष अमानत राशि एक माह के भीतर वापस कर दी जाएगी।
8. वाहन का निरीक्षण कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर में किया जा सकता है।
9. निविदा में वाहन की कीमत अंको व शब्दों में लिखी जावें तथा बंद लिफाफे में निविदा प्रस्तुत की जावें।
10. वाहन के लिए उच्चतम निविदा स्वीकार करने के पश्चात् जिसकी निविदा स्वीकृत होगी उसे ऑफर की गई राशि का 50 प्रतिशत तुरंत जमा करना होगा शेष राशि सात दिनों के अंदर जमा कराया जाना आवश्यक होगा। निविदाकार चाहे तो निविदा दर की समपूर्ण राशि एकमुश्त भी जमा करा सकते हैं।
11. उपरोक्त राशि कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर के बजट शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा कराई जाकर चालान के मूल प्रति प्रस्तुत किए जाने पर वाहन के मूल दस्तावेज सफल निविदाकार को प्रदाय किए जाने की कार्यवाही की जावेगी। चालान हेतु शीर्ष का विवरण निम्नानुसार है :–

    0070-प्रशासनिक सेवाओं से प्राप्तियाँ
    00-अन्य प्रशानिक
    800-अन्य प्राप्तियाँ
    0000-विस्तृत शीर्ष
12. यदि प्रथम निविदाकार राशि जमा करने में असफल रहते है,तो अमानत राशि राजसात करते हुये द्वितीय अधिकतम बोली लगाने वाले निविदाकार को उसके द्वारा प्रस्तुत की गई बोली की संपूर्ण राशि एकमुश्त 7 दिवस के भीतर जमा किये जाने हेतु निर्देश दिया जाकर वाहन का विक्रय किए जाने पर विचार किया जावेगा ।
13. सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी। निविदा शर्तों का पालन नहीं करने पर अमानत राशि राजसात की जा सकती है।

To be conti..3..

14. **किसी भी प्रकार के विवाद में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर का निर्णय अंतिम होगा तथा इसे पक्षकारों को स्वीकार करना अनिवार्य होगा।**
15. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत या अमान्य करने का अधिकार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर का होगा।
16. **निविदा दिनांक 20/01/2023 को अपरान्ह 4:00PM बजे** समिति द्वारा खोली जावेगी। निविदाकर्ता या उसके प्रतिनिधि इस दौरान उपस्थित रह सकते हैं।
17. निविदा में स्वीकृत राशि सम्पूर्ण रूप से जमा किये जाने के उपरांत ही वाहन के दस्तावेज सफल निविदाकार को सौंपा जावेगा जिसके आधार पर वाहन का नया पंजीयन कराया जायेगा। उक्त पंजीकरण की जानकारी निविदाकार के द्वारा इस कार्यालय को लिखित में देनी होगी।
18. वाहन का नया पंजीयन प्राप्त होने के उपरांत वाहन को सफल निविदाकार को सौंपा जायेगा तथा इसके उपरांत ही अमानत राशि वापस की जावेगी एवं यदि वाहन चलाने में उपयोग न किया जाकर कबाड़ किया जावेगा तो तत्संबंध में भी लिखित सूचना देनी होगी।
19. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में सुनवाई का क्षेत्राधिकार रायपुर स्थित सक्षम न्यायालय के अन्तर्गत होगा।

21/12/2022

(शिखा राजपूत तिवारी)
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
छत्तीसगढ़, रायपुर